Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Arms Appeal No.- 267/2022

Randhir Kumar.....Appellant

Versus

The State of Bihar & Anr .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	13-06-2023	**आदेश** प्रस्तुत शस्त्र अपील वाद जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–06/2020 में दिनांक–17.08.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–13034/2021 में दिनांक–17.11.2022 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षो को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ग्राम–नारायणपुर, थाना–जानकीनगर, जिला–पूर्णिया के स्थायी निवासी है। यह एक सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं एक राजनीतिज्ञ है। उन्होंने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एवं विरोध के कारण स्वयं एवं अपने परिवार तथा जान माल की हिफाजत के लिए एक एन0पी0 बोर राईफल शस्त्र धारित करने हेतु अनुज्ञप्ति के लिए दिनांक–27.12.2019 को जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष विहित प्रपत्र में आवेदन किया गया। उक्त आवेदन पर जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा ज्ञापांक–498/सा0, दिनांक–25.02.2020 के माध्यम से थानाध्यक्ष जानकीनगर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। थानाध्यक्ष जानकीनगर द्वारा पत्रांक–0963/2020, दिनांक–27.06.2020 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करते हुए अनुशंसा की गई। अपीलार्थी द्वारा नई दिल्ली स्थित TOPGUN SHOOTING ACADEMY में दिनांक–17.10.2021 से 19.10.2021 तक प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए प्रमाण पत्र प्राप्त किये। जिला पदाधिकारी,	

Web Copy. Not Official.

	<u>लगातार</u> **13-06-2023**	पूर्णिया द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद भी जब इनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया तो ये माननीय उच्च न्यायालय, पटना क्रमशः में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–13034/2021 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को शस्त्र अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा उक्त सूचना के आलोक में जल्दबाजी करते हुए बीच में ही दिनांक–17.08.2021 को इनके आवेदन को यह कारण बताकर अस्वीकृत कर दिया कि इनके द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील आवेदन समर्पित किया गया है। इनका आगे कथन है कि जिला पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश तथ्यों एवं विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। शस्त्र अधिनियम की धारा–14 के अनुसार जिला पदाधिकारी को आवेदन अस्वीकृत करने से पहले अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए था जो नहीं दिया गया। साथ ही अस्वीकृत करने का ठोस आधार बताना चाहिए जो नहीं किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु दिनांक–27.12.2019 को आवेदन समर्पित किया गया, जिसपर दिनांक–17.08.2021 को आदेश पारित कर रद्द किया गया, परन्तु इस बीच उनके द्वारा एक बार भी सूचना निर्गत कर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र समर्पित करने का निदेश नहीं दिया गया। जो शस्त्र अधिनियम–2016 की धारा 10 के अनुकूल नहीं है। जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा जानकीनगर में लंबित थाना कांड सं0–58/2011 दिनांक 06.06.11 (IPC की धारा 147,148,149,323,324,307,379, एवं 427) के कारण आवेदन को बिना कोई शस्त्र अधिनियम के अनुसार कोई प्रावधान के अस्वीकृत किया जाना अवैध था। उनके द्वारा यह भी वर्णन किया गया है कि आवेदक द्वारा आई0पी0सी0 की धारा 147,148,149,307,386 एवं 504 के आलोक में एवं शस्त्र अधिनियम के आलोक में माधव मृणाल उर्फ बादल यादव द्वारा	

Web Copy. Not Official.

	लगातार **13-06-2023**	अपने एवं परिवार के ऊपर जानलेवा हमला की आशंका के मद्देनजर थाना कांड सं0–56/2011 के विरूद्ध FIR किया गया। जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा इन तथ्यों के गहन जाँच किये बिना **क्रमशः** आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाना भी नियमानुकूल नहीं है। जिला पदाधिकारी द्वारा आवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु न तो सूचना निर्गत किया गया और न ही उनके तथ्यों पर पूर्ण विचार किया गया। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्थिति में इनके द्वारा अपील वाद को स्वीकृत करते हुए शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु आयुद्ध अधिनियम, 2016 के नियम 10 के उपनियम (1)(2) के प्रावधान के तहत मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक के द्वारा फॉर्म S-1 में प्रदत्त प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न किये जाने का प्रावधान है। परन्तु आवेदक द्वारा उक्त प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया गया हैं। साथ ही आवेदक द्वारा अपने आवेदन में आवेदन की तिथि से बाद प्रशिक्षण प्राप्त करने का जिक्र किया गया है। जो नियम संगत नही है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। आवेदक के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख संबंधित पदाधिकारी को वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy, Not Official.

Web Copy. Not Official.